



भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Website: www.bsgmp.net. E mail: bsgmadhypradesh@gmail.com, Phone ☎: 2661263, Fax: 2737446

क्रमांक / 4635 / रामु / गति-गावि / 2013-14
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23/1/2014

- 1 संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण /
संभागीय उपायुक्त, आदिवासी विकास
संभाग
 - 2 जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास
पदेन जिला कमिश्नर (स्काउट / गाइड)
जिला
 - 3 सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड)
संभागीय कार्यालय
- विषय :- जिला बैज समिति का गठन एवं स्वतंत्र परीक्षकों की नियुक्ति बाबत ।
सन्दर्भ :- राज्य मुख्यालय का पत्र क्र० / 3853-54 / रामु / गति-गावि / 2013 भोपाल, दिनांक 12 / 9 / 2013

-0-

विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 9 सितम्बर 2013 को राज्य बैज समिति की बैठक राज्य मुख्यालय भोपाल में लिये गये निर्णयानुसार युवा एडवांसमेन्ट अन्तर्गत स्काउट / गाइड, रोवर / रेंजर, कब / बुलबुल के प्रगतिशील प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जिले में जिला बैज समिति स्काउट व गाइड विभाग का गठन होना अनिवार्य है । यह बैज समिति रूल्सबुक चेप्टर-V रूल्स क्र०-95 पेज क्रमांक-103, 104 के अनुसार होना चाहिये । जिला बैज समिति का कार्य है कि प्रत्येक विभाग में स्वतंत्र बैज परीक्षक नियुक्त करे । द्वितीय सोपान से राष्ट्रपति अवार्ड तक की जांच करवाये एवं पात्रता रखने वाले को बैज व प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाये ।

अतः आप निम्नानुसार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करवाकर राज्य मुख्यालय भोपाल को भेजे जिससे आपके जिले के स्काउट-गाइड को जांच शिविरों में सम्मिलित किया जा सके ।

- 1 बैज समिति का गठन कर प्रत्येक सदस्य को पत्र भेजे ।
- 2 बैज समिति की बैठक कर प्रत्येक विभाग में स्वतंत्र परीक्षक की नियुक्त करने हेतु सूची तैयार करें ।
- 3 जिन्हें स्वतंत्र परीक्षक नियुक्त करने जा रहे हैं उन सदस्यों से लिखित में स्वीकृति प्राप्त करें ।
- 4 स्वीकृति प्राप्त कर स्वतंत्र परीक्षकों को नियुक्ति संबंधी पत्र भेजे, साथ ही जिस बैज या विषय के लिये परीक्षक नियुक्त किया है उसका पाठ्यक्रम भी उन्हें संलग्न कर भेजे ।
- 5 गठित जिला बैज समिति व नियुक्त स्वतंत्र बैज परीक्षक किस अवधि से किस अवधि तक के लिये नियुक्त है इसकी जानकारी के साथ निम्न प्रारूप में सूची राज्य मुख्यालय भोपाल को भेजे ।

// प्रारूप //

क्रम	जिला	विषय / दक्षता बैज का नाम	स्वतंत्र परीक्षक का नाम	परीक्षक का स्थायी पता	मोबाईल नम्बर	परीक्षक का हस्ताक्षर

बैज समिति संबंधी समस्त रिकार्ड जिला मुख्यालय पर पृथक से संधारित करें ।

उपरोक्त प्रारूप में स्वतंत्र परीक्षकों की सूची सन्दर्भित पत्रानुसार दिनांक 30 सितम्बर 2013 तक अनिवार्य रूप से राज्य मुख्यालय को भेजने हेतु पत्र द्वारा एवं समीक्षा बैठकों में भी कई बार निर्देश दिये गये, एसओसी0 गाइड द्वारा कई बार दूरभाष पर निर्देश दिये गये इसके भी बावजूद आपके द्वारा सूची नहीं भेजी जा रही है । बार-बार आदेशों व निर्देशों की अवहेलना की जा रही है । आपके द्वारा आज दिनांक तक सूची क्यों नहीं भेजी गई अपना उत्तर तीन दिवस में प्रस्तुत करे तथा उपरोक्त निर्देशानुसार सूची दिनांक 15 फरवरी 2014 तक अनिवार्य रूप से प्राथमिकता के आधार पर भेजे । यह अंतिम अवसर है यदि उक्त तिथि तक स्वतंत्र परीक्षकों की सूची प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में आपके जिले युवा एडवांसमेन्ट अन्तर्गत द्वितीय व तृतीय सोपान, प्रवीण, निपुण, द्वितीय चरण-रजतपंख, तृतीय चरण-स्वर्ण पंख जांच शिविरों को क्यों न अमान्य किया जावे ।

राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश